हर घर तिरंगा अभियान–2026 के आयोजन हेतु दिनांक 05.08.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 183 / 2026 / 2084 / 4–2026–1955 / 062 / सांस्कृतिक अनुभाग / लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.08.2026 को **हर घर तिरंगा अभियान** की बैठक की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	जिला परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	उपायुक्त, श्रम एवं रोजगार	सदस्य
7	उपायुक्त, स्वतः रोजगार	सदस्य
8	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
11	उपनिदेशक / जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
12	जिला सहायक पर्यटक अधिकारी	सदस्य
13	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
14	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
15	जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
16	परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
17	प्राचार्य आई0टी0आई0	सदस्य
18	जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
19	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
20	जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
21	समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
22	एन0सी0सी0 के अधिकारी / एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
23	अधिशासी अधिकारी / नगर पालिका / नगर पंचायत	सदस्य
24	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों को 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देश के अनुसार 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाये जाने हेतु अवगत कराया गया है तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम तिरंगे झण्डे के निर्माण हेतु दो बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है–

1– तिरंगे झण्डे के निर्माण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 10–12 समूहों का चयन कर लिया जाए। तिरंगे झण्डे को तैयार करने का दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्माण सुनिश्चित कराएं तथा झण्डे पर अशोक चक्र को प्रदर्शित किये जाने हेतु मुहर का निर्माण कर लिया जाए तथा इस कार्य में कोई भी शिथिलता न बरती जाय।

2– तिरंगे झण्डे के निर्माण के उपरांत विकास खण्ड स्तर से कलस्टर का निर्माण कर समस्त ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन/सार्वजनिक भवनों पर ''तिरंगा झण्डा मेला'' का आयोजन कराया जाय तथा ग्रामीणों को तिरंगे झण्डे को झण्डा रोहण कराये जाने एवं रख–रखाव के बारे में उन्हें जानकारी दिया जाय तथा तिरंगे झण्डे का वितरण किया जाय। उक्त के साथ ही साथ शहरी/नगर क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम अधिकारी डूडा प्रत्येक नगर पालिका/नगर पंचायत शहरी क्षेत्र से 50,000 तिरंगे झण्डे का वितरण कराएंगे। विगत वर्ष की भांति जनपद को 6,30,000 तिरंगा झण्डा के निर्माण एवं वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त के क्रम में अलग–अलग विभागों को तिरंगा झण्डा वितरण किये जाने का लक्ष्य निधारित किया गया है, जो निम्नवत् हैं–

क्र.सं.	विभाग का नाम	लक्ष्य
1	उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	80000
2	जिला विद्यालय निरीक्षक	5000
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	33000
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार	33000
5	सहायक आयुक्त, जी.एस.टी.	11000
6	उपायुक्त स्वतः रोजगार	300000
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	5500
8	जिला पूर्ति अधिकारी	15700
9	अग्रणी जिला प्रबंधक	16500
10	जिला आबकारी अधिकारी	8800
11	पी.ओ. डूडा	50000
12	जिला खनन अधिकारी	11000
13	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	11000
14	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड–3	11000
15	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड–1	11000
16	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड–2	11000
17	जिला उद्यान अधिकारी	5500
18	ए.आर.टी.ओ.	11000
	कुल	**630000**

उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र जनपद के लगभग 150 औद्योगिक इकाइयों के परिसरों एवं उनके आस–पास के मुख्य मार्गों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तिरंगे झण्डे का वितरण किया जायेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समक्ष के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं को झण्डा उपलब्ध कराकर ग्रामीण एवं शहरी, क्षेत्रों में तिरंगा झण्डा रैलियों का आयोजन करते हुए तिरंगे झण्डे का वितरण एवं फहराये जाने का कार्यक्रम किया जायेगा। **(जिला विद्यालय निरीक्षक)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के माध्यम से तिरंगा झण्डा रैली का आयोजन करते हुए तिरंगा झण्डा का वितरण किया जायेगा। **(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)**

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के माध्यम से तिरंगे झण्डे का आयोजन करते हुए तिरंगे झण्डे का वितरण किया जाय। **(जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)**

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी वर्कर एवं सहायिकाओं के माध्यम से जनपद के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डे का वितरण का कार्य करायेगें। **(जिला कार्यक्रम अधिकारी)**

जनपद के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं व्यापार मण्डल के माध्यम से समस्त प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झण्डा वितरण कार्य करायेगें। **(सहायक आयुक्त, जी0एस0टी0)**

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर 10–12 समूहों का चयन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 200–250 तिरंगे झण्डे ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों/सार्वजनिक भवन पर तिरंगा झण्डा मेला का आयोजन कराते हुए झण्डे का वितरण का कार्य करायेंगे। **(स्वतः रोजगार, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)**

जिला पंचायत के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण एवं शहरी, क्षेत्रों में तिरंगे झण्डे के वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आने वाले कोटे की दुकानों एवं कोटेदार के माध्यम से तिरंगे झण्डे के वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(जिला पूर्ति अधिकारी)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित बैंकों के माध्यम से तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(अग्रणी जिला प्रबन्धक)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों के माध्यम से तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(जिला आबकारी अधिकारी)**

जनपद के नगर पंचायत क्षेत्रों में विभागीय क्रमचारियों के माध्यम से तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(पी0ओ0 डूडा)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(जिला खनन अधिकारी)**

जनपद के समस्त विकास खण्डों में कार्यरत् अवर अभियंताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)**

जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत् अवर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के माध्यम से तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, खण्ड–1 एवं खण्ड–2)**

जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी के कार्य से जुड़े हुए कृषकों को तिरंगे झण्डे का वितरण का कार्य कराया जायेगा। **(जिला उद्यान अधिकारी)**

जनपद के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी वाहनों एवं प्राइवेट के वाहन स्वामी को झण्डे का वितरण करते हुए वाहनों पर तिरंगे झण्डे को लगाये जाने हेतु प्रेरित करेगें। **(ए0आर0टी0ओ0)**

काकोरी सताब्दी महोत्सव समापन समारोह, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका, स्वतंत्रता दिवस को मनाये जाने हेतु सांस्कृतिक विभाग की ओर से जनपद को प्राप्त रुपये 6,30,000/– की धनराशि को वित्तीय नियमों का पालन रखते हुए कार्यक्रमों को कराया जाना तथा प्राथमिकता के आधार पर विगत वर्ष में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। **(सहायक जिला पर्यटन/सांस्कृतिक अधिकारी)**

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त विभागीय अधिकारी अपने निर्धारित दायित्वों के निर्वहन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा आयोजनों के अनुश्रवण, सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जनपद स्तर नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। शासनादेश में दिये गये प्राविधानों पर चर्चा की गयी जो निम्नवत् हैं:–

1– इस हर घर तिरंगा (एच0जी0टी0) अभियान में देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जायेगा।

2– इसी भावना को जारी रखते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–2225/चार–2026–1955062, संस्कृति अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 05 अगस्त, 2026 के सर्कुलर के अनुसार क्रियान्वित किये जाने हेतु पूरे देश में दिनांक 06 अगस्त से 15 अगस्त 2026 की अवधि में 03 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान 2026 आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये चरण निम्नानुसार हैः–

(1) प्रथम चरण (दिनांक 06–08 अगस्त, 2026)।

(2) द्वितीय चरण (दिनांक 09–12 अगस्त, 2026)।

(3) तृतीय चरण (दिनांक 13–15 अगस्त, 2026)।

I– <u>प्रथम चरण (दिनांक 06–08 अगस्त, 2026)।</u>

1– स्कूलों की दीवारों और बोर्डो को प्रेरित कला से सजाना।

2– संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की प्रदर्शनियों (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना है।

3– स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।

4– विद्यार्थियों द्वारा सैनिकों और पुलिस कर्मियों को आभार पत्र लिखकर डाक विभाग के समन्वय से भेजना।

5– तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाजारों में सौहार्दपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

6– पंचायतीराज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये गये झण्डों का विक्रय सुनिश्चित कर लिया जाय। झण्डों का विक्रय पूर्व के वर्षों की भांति एक टोकेन मनी के साथ किया जाय।

7– स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े शहीद स्थलों व मूर्तियों एवं तोरण द्वारों की कार्यक्रम से पूर्व साफ–सफाई एवं रंगाई–पुताई का कार्य स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायों, राजनैतिक पेंशन सैनिक कल्याण, पर्यटन विभाग इत्यादि के माध्यम से करायी जाय।

II– <u>द्वितीय चरण– (दिनांक 09–12 अगस्त, 2026)।</u>

1– प्रत्येक स्कूल, कालेज तथा तकनीकी संस्थानों में स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित प्रतियोगिता करायी जाय, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित कर 26 जनवरी, 2027 को सम्मानित किया जाय।

2– द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत बृहद् **तिरंगा मेला** और भव्य तिरंगा म्युजिकल कॉन्सर्ट आयोजित किया जायेगा।

3– जनपद स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ किया जाय। इस कार्यक्रम स्थानीय मा0 विधायकगण, मा0 सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

4– तिरंगा मेला के आयोजन में ग्राम विभाग के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों, स्थानीय उत्पादों, (ओ0डी0ओ0पी0), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद सामग्री/परिधान/वस्त्र/श्रंगार सामग्री आदि) की बिक्री एवं प्रदर्शनी किया जाय।

5– मुख्य कार्यक्रमों के दौरान तिरंगा मेले में तिरंगा प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया जायेगा।

6– वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए HGT सेल्फी बूथों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रान्डिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

7— वी0आई0पी0 कार्यक्रम के दिन व्यापक भागीदारी के साथ प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देश भक्ति पूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।

8— प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी0डी0एस0 दुकानों, (सार्वजनिक बिक्री की दुकानों), खादी भण्डारों और स्थानीय बाजार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबन्धन किया जाना।

9— सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार—प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

10— प्रत्येक नागरिक को झण्डा संहिता तथा झण्डा फहराने के तरीको के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय, इस सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, डिजिटल मीडिया आदि के माध्यम से स्पष्ट दिशा—निर्देश समय—समय पर चलाया जाय।

III— <u>तृतीय चरण (दिनांक 13—15 अगस्त, 2026)</u>

1— दिनांक 13—15 अगस्त, 2026 के मध्य सभी आवासित घरों/सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/व्यापरिक प्रतिस्ठानों/शहीद स्मारकों/अमृत सरोवरों आदि पर ध्वजारोहण समारोह एवं तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

2— स्वतंत्रता दिवस के दिन बेसिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्र—छात्राओं की रैली निकाली जाय। रैली के प्रारम्भ से पूर्व से पूर्व वन्दे मातरम का गायन किया जाय। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाय। रैली के उपरान्त विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय खेलों यथा—खो—खो, कबड्डी, रस्सा कसी आदि का आयोजन किया जाय। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किये गये जन—प्रतिनिधियों के अभिभाषण के उपरान्त बच्चों को मिष्ठान एवं फल का वितरण किया जाय।

3— आंगनबाड़ी केन्द्र/वृद्धा आश्रमों/निराश्रित आश्रमों/दिव्यांग आश्रमों एवं अन्य बाल सुधार गृहों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरण किया जाय।

4— ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा पंचायत सचिवालयों में व अमृत सरोवरों में झण्डा फहराया जाय तथा जन—प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर गोष्ठी व व्याख्यान माला आदि का आयोजन किया जाय।

5— समस्त सरकारी कर्मचारी/गैर सरकारी कर्मचारी/शिक्षकों तथा औद्योगित संस्थनों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपने—अपने घरों में तिरंगा लगाया जायेगा।

6— 15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों/युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों तथा पूर्व सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाय।

7— स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए स्थलों जैसे शहीद स्मारकों पर दिनांक 13 से 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन कर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीदों को याद किया जाय।

8— शहीद स्थलों/स्मारकों पर पुलिस बैण्ड/पी0एस0सी0 बैण्ड/होमगार्ड बैण्ड द्वारा सुबह एवं शाम को देश प्रेम सम्बन्धी गीतों की धुन का वादन किया जाय।

9— गृह विभाग/पुलिस कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, सिविल डिफेन्स, होमगार्डस एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया जाना।

10— उक्त आयोजन सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, ब्लाकों और पंचायतों में आयोजित किये जायेंगे, जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोंगों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

11— तिरंगा रैली में एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/नेहरू युवा केन्द्र के साथ—साथ युवक मंगल दल/महिला मंगल दल तथा सिविल डिफेन्स के साथ अन्य स्वयं सेवी संगठनों को भी जोड़ा जाय।

मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 183/2026/2084/4—2026—1955/062/सांस्कृतिक अनुभाग/लखनऊ, दिनांक 31 जुलाई, 2026 में दिये गये निर्देश के क्रम में संस्कृति विभाग द्वारा **'हर घर तिरंगा अभियान—2026'** के आयोजन हेतु बड़े जनपदों को रू0 10 लाख एवं छोटे जनपदों को रू0 05 लाख की धनराशि प्रति जनपद जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इस धनराशि से राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के क्रय का कार्य नही किया जायेगा, यह धनरशि जनपदों में **'हर घर तिरंगा अभियान—2026'** के अन्तर्गत होने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे—तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट की व्यवस्थाएं, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रतियोगिताएं आदि तथा विभाजन विभीषिका से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए बैठक में उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी

पत्रांक 3014 /सात/पं0/हर घर तिरंगा/2026—27 दिनांक 07.08.2026

प्रतिलिपिः— **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

01— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।
02— समस्त नामित सदस्यों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
03— समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, बाराबंकी।
04— जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी को अनुश्रवण हेतु।
05— अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी।
06— मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी